फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 171/2023
Online No. 2023/264

उनवान

श्री [illegible] बनाम श्री [illegible] कावरा
नि० करोईकला नि० करोईकला

धारा 111-128 प्रा0पत्र/राजस्व वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
15/5/23	बाद जॉच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 13/6/23 ... को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	
13/6/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित बाद बार आवाज दिलवाई गई। बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की गई है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र एक तरफा बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय मुताबिक के लिखकर जारी बाद हस्ताक्षर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
171 / 2023	15.05.2023	13.06.2023

अनवान

1. श्रीमती नर्बदा देवी पुत्री स्व0 श्री गोरधन लाल मालीवाल उम्र 70 वर्ष,
2. सत्यनारायण पुत्र बद्रीलाल मालीवाल उम्र 55 वर्ष,
   निवासीगण कारोई कला जिला भीलवाड़ा–राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश चन्द्र काबरा पुत्र चुन्नीलाल काबरा उम्र 65 वर्ष,
2. श्रीमती पार्वती देवी पत्नी जगदीश चन्द्र काबरा उम्र 62 वर्ष,
3. शंकरलाल गाडरी पुत्र नारूलाल गाडरी उम्र 42 वर्ष,
   निवासीगण कारोई कला जिला भीलवाड़ा–राज0
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जिला भीलवाड़ा–राज0

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री उदयसिंह – प्रार्थी
एक तरफा– अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम कारोई कला, पटवार हल्का कारोई कला, भू.अ.नि. क्षेत्र कारोई कला, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2073–76 के नये खाता संख्या 1100 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1523, 1519 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5311 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है तथा विपक्षीगण प्रार्थीगण की वर्णित आराजियात के पड़ौसी व खातेदार है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजियात का पूर्व में सीमांकन नहीं हुआ है, जिससे सीमा संबंधी आये दिन विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण अपनी आराजियात आराजी संख्या 1523, 1519 की पत्थरगढ़ी करवा मौके पर स्थायी सीमा चिह्न घोषित कराना चाहते हैं।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 13.06.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थीगगण अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह–काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने का अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम कारोई कला, पटवार हल्का कारोई कला, भू.अ.नि. क्षेत्र कारोई कला, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2073–76 के नये खाता संख्या 1100 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1523, 1519 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5311 है0 भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा